यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय परियोजना **प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर,** के माह 02/2015 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री योगेश त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.11.2016 से 05.12.2016 तक में श्री सुनील कल्ला, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वीरेंद्र सिंह, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.03.2015 से 16.03.2015 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 01/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 10/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- बागेश्वर जनपद के तीनों खंड बागेश्वर, कपकोट एवं गरुड में निक्षेप कार्य (Deposit Work) के आधार पर विभिन्न विभागों के लिए निर्माण कार्य करना।

3. **(i) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ` में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (-)` **	**बचत (+) ` **
	**स्थापना ` **	**गैर स्थापना ` **	**आवंटन ` **	**व्यय ` **	**आवंटन ` **	**व्यय ` **		
2013-14	136258.00	-	5230560.00	4941394.00			-	425424.00
2014-15	425424.00	-	6018291.00	6245548.00			-	198167.00
2015-16	198167.00	-	4403644.00	4524736.00			-	77075.00
2016-17 (upto sept)	77075.00	-	2668246.00	2695959.00			-	49362.00

(ब) निक्षेप कार्य के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय (-) `	बचत (+) अधिक्य (-)
2013-14		68673920.00	30744206.00	21260376.00	78157750.00
2014-15		78157750.00	52700360.00	88685240.00	42172870.00
2015-16		42172870.00	19254265.00	30045401.00	31381734.00
2016-17 (Oct)		31381734.00	15626667.00	19761488.00	27246913.00

(ii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय एवं निक्षेप कार्य के आधार पर निर्माण कार्य कराये जाने के लिए विभिन्न विभागों से धनराशि प्राप्त होता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ------- श्रेणी की है।

कार्यालय का संरचनात्मक ढांचाः-

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर, को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं मार्च 2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

शून्य

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- पूर्ण धनराशि होने के पश्चात भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के कारण ` 74.92 लाख की धनराशि का अवरूद्ध पड़े रहना।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, बागेश्वर के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि पुलिस चौकी कमेड़ी देवी कपकोट के आवासीय-अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु इकाई द्वारा प्रस्तुत आगणन ` 80.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय विभाग/टी.ए.सी. द्वारा ` 74.92 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासनादेश सं. 65/XX-8/15-4(3)201 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा स्वीकृत धनराशि (` 74.92 लाख), अवमुक्त की गयी तथा मुख्यालय के पत्रांक सं. 1012/धन आवंटन/18 दिनांक 26.03.2015 के द्वारा आवंटित ` 74.92 लाख की धनराशि में से ` 6.811 लाख सेंटेज के रूप में काट कर ` 68.109 लाख की धनराशि इकाई को आवंटित की गयी थी। इकाई द्वारा इस धनराशि को बचत खाते में रखा गया था तथा इस पर ब्याज के रूप में ` 3.11 लाख की धनराशि अर्जित हुई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सेंटेज की धनराशि की कटौती इकाई द्वारा किए गये कार्य पर व्यय के आधार पर की जाती है।

अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि यह निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि (माह 12/2016) तक प्रारम्भ नहीं किया गया था अर्थात इकाई द्वारा निर्माण की पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के 1½ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी यह कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था एवं बिना कार्य किए ` 6.811 लाख की सेंटेज भी काटी गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि क्लाईंट विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। धनराशि पर अर्जित ब्याजी की धनराशि चालान द्वारा जमा करा दी गयी। सेंटेज के संबंध में बताया कि यह धनराशि मुख्यालय से काटी गयी तथा कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति में धनराशि क्लाईंट विभाग को सेंटेज सहित वापस की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा 1½ वर्ष तक क्लाईंट विभाग से भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिये न तो कोई कार्यवाही की गई एवं न ही आवंटित धनराशि को वापस किया गया है। बिना कार्य प्रारम्भ/व्यय किए सेंटेज की धनराशि की भी कटौती कर दी गयी है।

अतः पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के पश्चात भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने के कारण ` 74.92 लाख की धनराशि का अवरूद्ध पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो-ब</u>

प्रस्तर:2- निर्माण इकाईं को पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण होने में अत्यधिक विलम्ब।

प्ररियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल निगम, वागेश्वर के निर्माण संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासनादेश संख्या 635/xxiv(7)/2013-9(2)/2011 दिनांक 25.3.2013 के संदर्भ में चालू वित्तीय 2012-13 में राजकीय महाविद्यालय, कांडा, जनपद बागेश्वर के भवन निर्माण के कार्यों हेतु गठित प्राक्कलन ` 258.15 लाख के सापेक्ष परीक्षणोपरांत औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ` 247.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। निर्माण इकाईं को निदेशक उच्च शिक्षा, उत्तराखंड, हल्द्वानी, नैनीताल के द्वारा अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 में क्रमशः ` 100.00 लाख एवं 147.04 लाख (कुल ` 247.04 लाख) की धनराशि अवमुक्त कर दिया गया। दिनांक 25 मार्च 2013 को ग्राहक विभाग (उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड) एवं निर्माण इकाईं (उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर) के मध्य किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार एमओयू में निर्धारित शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा एवं एमओयू की शर्तों का पालन न किए जाने पर उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। एमओयू के अनुसार कार्य पूर्ण एवं योजना हस्तांतरण की अवधि 28 माह की है जो की मार्च 2013 को प्रारम्भ होती है एवं जुलाई 2015 को समाप्त होती है। एमओयू के अनुसार परियोजना के अंतर्गत निर्माण एजेंसी को प्रथम किस्त की धनराशि प्राप्त होने की तिथि से कार्य प्रारम्भ की तिथि मानी जाएगी। निर्माण इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आया:

1) योजना की स्वीकृति से लगभग 44 माह का समय बीत जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण है एवं इसकी भौतिक प्रगति 65 प्रतिशत है एवं वित्तीय प्रगति ` 162.42 लाख है।
2) योजना की कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वर्तमान तक कुल धनराशि ` 149.36 लाख के अनुबंध किए गए है जिसके लिए चार अनुबंध अलग-2 किए गए है जबकि ठेकेदार एक ही है। अनुबंध का विवरण निमन्वत है:

अनुबंध संख्या	अनुबंध कि लागत (`)में
10/PM/2013-14	24,96,267/-
03/PM/2015-16	24,86,601/-
08/PM/2015-16	24,74,081/-
01/PM/2016-17	74,79,323/-
कुल	1,49,36,272/-

3) इस कार्य हेतु शासन के द्वारा दिसम्बर 2011 में भी ` 8.57 लाख की धनराशि प्रथम चरण के लिए स्वीकृत किए गए थे जो कि DPR गठन एवं प्रथम चरण के कार्यों में उपयोग किया गया।

4) लेखापरीक्षा में कार्य पूर्ति समय पर नहीं किए जाने पर क्लाईंट विभाग से इकाई द्वारा समय का विस्तार किए जाने से संबन्धित किसी भी प्रकार का कोई अभिलेख नहीं पाये गए।

5) इकाई के द्वारा बिना कार्य पूर्ण हुए एवं बिना पूर्ण अवमुक्त धनराशि व्यय किये पूर्ण सेंटेज़ की धनराशि ` 20.398 लाख मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया।

   उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय ने प्रतुत्तर दिया कि निर्माण स्थल अत्यंत दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है। ठेकेदार डी श्रेणी में होने के कारण उक्त धनराशि के ऊपर की सीमा के अनुबंध नहीं कराये गए। शेष धनराशि से अवशेष कार्यों को वर्तमान अनुबंध के सारे कार्य पूर्ण होने के पश्चात अनुबंध के माध्यम से कराया जाएगा। सम्पूर्ण धनराशि की निविदा पूर्व में आमंत्रित की गई थी परंतु किसी भी ठेकदार द्वारा प्रतिभाग न किए जाने के कारण कार्य टुकड़ों में कराया जा रहा है। लेखापरीक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण इकाई को पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भी कार्य को एमओयू में निर्धारित अवधि के भीतर नहीं कराया गया एवं न ही ग्राहक विभाग से समय विस्तार से संबन्धित कोई अनुमोदन, अभिलेख/पत्राचार आदि पाये गए।

   अतः लेखापरीक्षा की अवधि तक निर्माण इकाई को पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भी कार्य को अपूर्ण पाया गया। निर्माण कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति एवं विलंब होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर
191/2014-15	-	-	1,2

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- विगत लेखापरीक्षा के STAN की अनुपालन आख्या।**

2. सतत् अनियमितताएः- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	अवधि
i	श्री आर के चौहान	परियोजना प्रबन्धक	2/15 से 5/8/15
ii	श्री पूरन चन्द्र जोशी	परियोजना प्रबन्धक	6/8/15 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाईं, उत्तराखंड पेयजल निगम, बागेश्वर,** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सा.क्षे.)